वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर का नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अभिमत से सहमत होते हुए रकबा 2.025 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 14/06/2023
स्थानः नवा रायपुर

(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–310/ 1513 रायपुर, दिनांक 22/06/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः– **नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु Jayaswal Neco Industries Limited द्वारा Alternative Road for Transportation of iron ore at Chhotedongar iron ore Mine हेतु क्षेत्रफल 2.025 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत् ।**

– **पंजीयन क्रमांक – FP/ CG / Approach / 156074/ 2022**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/1795 दिनांक 30.05.2023

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा प्रकरण में मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रायपुर द्वारा नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र के ग्राम छोटेडोंगर में स्थित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 रकबा 2.025 हे. वन भूमि पर **''लौह अयस्क परिवहन के लिये वैकल्पिक सड़क निर्माण''** हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर का नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2 से 7) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के प्रकरण में रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/ CG / Approach / 156074/ 2022** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि वन मंडल कार्यालय के नारायणपुर के कोषालय में दिनांक 29.06.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रूपये कुल 35,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 08) – प्रस्तावित परियोजना हेतु नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 09)–प्रस्तावित परियोजना हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 10 से 11) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 17) – प्रस्तावित वन भूमि कक्ष आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 22) – प्रपत्र – 4 में नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 85.00 लाख़ रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 25) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर का छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कंपनी के पक्ष में छोटेडोंगर के वन भूमि रकबा 192.25 हे. में लौह अयस्क खनिज के खनन हेतु खनिपट्टा स्वीकृति किया गया है। इस स्वीकृत वन भूमि 192.25 हे. में पहुंच मार्ग का क्षेत्र भी शामिल है। कंपनी द्वारा स्टेट हाईवे से खदान में जाने हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित है एवं नक्सलियों द्वारा कभी भी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिये जाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः राज्य शासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टकोण से छोटे डोंगर की पहाड़ी में सुरक्षा बलों का कैम्प स्थापित किया गया है। कंपनी द्वारा खदान में आवागमन हेतु निर्मित पहुंच मार्ग का कुछ हिस्सा सुरक्षा बल के कैम्प के अत्याधिक नजदीक है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 27) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर द्वारा प्रत्यावर्तन एवं आबंटित वन भूमि के एवज में शासन द्वारा समय–समय पर तय की गई दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर द्वारा नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – आवेदक संस्थान के कथन अनुसार प्रस्तावित परियोजना लीनियर होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 57) – आवेदित क्षेत्र में 278 वृक्ष खड़े है जिसका विदोहन किया जाना है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 62) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 63) – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – प्रस्ताव में कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु चयन किया गया है। अतः गैर वन क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 106) – आवेदित वन भूमि 2.025 हे. के एवज में पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत मेसर्स जायसवाल निको के कोयली बेड़ा परिक्षेत्र के ग्राम कौड़ोसाल्हेभाट स्वामित्व के निजी भूमि रकबा 2.050 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 107 से 110) – वन मंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कोयलीबेड़ा परिक्षेत्र के ग्राम कौड़ोसाल्हेभाट आवेदक संस्थान के स्वामित्व के निजी भूमि रकबा 2.050 हे. चयनित किया गया है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 111) – वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 112) – वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 114) – वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के द्वारा लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ 2193 रकबा 2.025 हे वन भूमि के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि दिया गया है। अतः मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 117) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान प्ठड **नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 118)** – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 119) – प्रस्तावित परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 128) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल द्वारा दिनांक 17.05.2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 30.05.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 129) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत / स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 130 से 133) – मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर द्वारा नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम पंचायत राजपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 134) – नारायणपुर जिले की कुल वन भूमि 116237.97 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 135) – नारायणपुर जिले अंतर्गत इस श्रेणी के 04 प्रकरण रकबा 476.720 हे. स्वीकृति की गई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 136) – नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 138) – खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 150 तक) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर नारायणपुर द्वारा वन अधिकार वितरण संबंधी प्रमाण पत्र 31.10. 2022 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 151) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर नारायणपुर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 152 से 153) – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 154 से 157) – प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 158) – वन मंडलाधिकारी नारायणपुर वन मंडल प्रतिवेदन अनुसार भूमि की दशा प्रायः दूमट मिट्टी है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 159 से 160) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 161) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 162 से 164) – चक लिस्ट बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 165) – वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 166) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 167) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 03 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–310/ 1514 रायपुर, दिनांक 22/06/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी,** पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।
4. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़